

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक / स्था.2 / सी / स्थानां. / 45 / 2010 / 1186

भोपाल, दिनांक २९-५-२०

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण समान सामाज्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

सं. क.	व्याख्याता का नाम एवं विषय	यूनिक आई.डी. कमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुरेन्द्र पांडे रसायन	-	शा. उ.मा.वि. मैहर म.प्र.	-	शा.क.उ.मा.वि. कर्चुलियान रीवा	23140277701
2	श्री पूरन लाल झारिया संस्कृत	AZ3275	शा.बा.उ.मा. वि. सेमरिया जिला रीवा	23140477704	शा.उ.मा.वि. बरघाट जिला सिवनी	23440277701
3	श्रीमती कृष्णा सोनी हिन्दी	AS4595	शा.उ.मा.वि. जावद नीमच	23180377701	शा.बा.उ.मा.वि. नीमच	23180777702
4	श्री औकार प्रसाद पटेल राजनीति	AH9965	शा.क.उ.मा. वि. रहली सागर	23111177702	शा.उत्कृ.उ.मा. वि.शाला देवरी सागर	23110677701
5	श्री अवधेश कुमार सक्सेना हिन्दी	AU8009	शा.उ.मा.वि. अकोदिया मण्डी शाजापुर	23220777705	शा. म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. शाजापुर	23220677703


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1184
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29-5

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला रीवा, सिवनी, नीमच, सागर, एवं शाजापुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा, सिवनी, नीमच, सागर, एवं शाजापुर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला रीवा, सिवनी, नीमच, सागर, एवं शाजापुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा, सिवनी, नीमच, सागर, एवं शाजापुर म.प्र. की ओर अप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अगिलेख से पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, ए रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाय यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आ है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ;
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।




आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
कमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1188
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 29-7-2010

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क./स्था.2/व्या./सी./स्थानां./28/2010/915-916 दिनांक 15.06.2010 के स.क. 5 द्वारा श्रीमती मिनी थामस, व्याख्याता, शा. राधा बाई उ.मा.वि.देवास का प्रशासनिक स्थानांतरण शा. कन्या उ.मा.वि. सोनकच्छ देवास किया गया था, जिसे एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1189
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29-7-2010

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला देवास ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला देवास ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला देवास ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास म.प्र. ।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1190

भोपाल, दिनांक


29-7-2010

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/सी./स्थानां./45/2010/957B-958B दिनांक 15.06.2010 द्वारा श्रीमती विजया नीम पिपलेकर, व्याख्याता, हिन्दी शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.क.1 सीहोर का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में शा.बा.उ.मा.वि. महु इंदौर किया गया था जिसमें एतद् द्वारा संशोधन करते हुये पदांकित संस्था को शा.कन्या उ.मा.वि. महु इंदौर संस्था में किया जाता है ।

2/ पूर्व आदेश में जारी शेष शर्तें यथावत रहेगी ।


“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 29-7-2010

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1191
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला इंदौर/सीहोर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इंदौर/सीहोर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इंदौर, भोपाल म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला इंदौर/सीहोर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर/सीहोर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये; यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1192

/आदेश/

भोपाल, दिनांक 29-7-2010

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/सी./स्थानां./28/2010/917-918 दिनांक 15.06.2010 के स.क्र. 2 द्वारा श्री शिवेन्द्र बंसल, व्याख्याता, (रेडियो एवं टी.पी. रिपेयर) शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.सागर का स्थानांतरण पद सहित समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में शा.म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. छतरपुर किया गया था, जिसे एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 29-7-20

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1193

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला सागर/छतरपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सागर/छतरपुर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला सागर/छतरपुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर/छतरपुर म.प्र. ।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010//194


भोपाल, दिनांक 29-7-2010

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में पद सहित उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती शशिबाला सिंह, व्याख्याता (रेडियो एवं टी.वी. रिपेयर)	AB1703	शा.उ.मा.वि. बिलकिसगंज जिला सीहोर	23330577708	शा.उ.मा.वि. आनंदनगर भोपाल	23320377727


“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 29-7-2010

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010//195
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला सीहोर/भोपाल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सीहोर/भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला सीहोर/भोपाल ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीहोर/भोपाल म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अनिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों का एक सप्ताह में कार्यमुक्त/द्वार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक./स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1196

भोपाल, दिनांक 29-7-2010


/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कार्लेम क्रमांक 4 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया गया था जिसे एतद द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये कार्लेम क्र.6 में अंकित संस्था में पदस्थ किया जाता है ।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स.क्र.	व्याख्याता का नाम एवं विषय	यूनिक आई. डी.क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था./जिले का डाइस कोड	संशोधित संस्था/जिले का नाम	संस्था./जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री पी.डी. विश्वकर्मा व्याख्याता (रेडियो एवं टी.वी.रिपेयर)	AH7574	शा.उत्कृ.उ.गा. वि. नौगांव छतरपुर	23090777701	शा.म.ल.ब.क.उ. मा.वि. छतरपुर	23090577703

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां क्रमांक/स्था.2/सी/स्थानां./45/2010/1197

भोपाल, दिनांक 29-7-2010

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला छतरपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला छतरपुर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर म.प्र. ।
7. जिला कोषालय जिला छतरपुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।



आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.